

(37)



# बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

21/05/2019



भोपाल, दिनांक: 30/5/19



प्रति,

प्राचार्य,  
329 -SANT HIRDARAM GIRLS COLLEGE  
LAKE ROAD, SANT HIRDARAM NAGAR  
BHOPAL

विषय:- अस्थाई सम्बद्धता की निरंतरता 2019-20 प्रदान करने विषयक।

महोदय,

विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दि. की अनशंसा पर कार्य परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में म.प्र. वि.वि. अधि. 1973 की धरा 15 (4) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत, कुलपति जी द्वारा दी गई स्वीकृति के तारतम्य में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता की निरंतरता (निम्नांकित शर्तों के तहत) प्रदान की जाती है।

S.No.	Course	Branch	Status	Seats
1	BCOM	COMPUTER APPLICATION, ---	PERMANENT	680
2	BSC	BIOTECHNOLOGY, BOTANY, CHEMISTRY, CLINICAL NUTRITION AND DITECTICS, COMPUTER SCIENCE, MATHEMATICS, MICROBIOLOGY, PHYSICS, ZOOLOGY	PERMANENT	730
3	MCOM	ACCOUNT, MANAGEMENT	PERMANENT	120
4	MSC	BIOTECHNOLOGY, CHEMISTRY, COMPUTER SCIENCE, MATHEMATICS	PERMANENT	105
5	BBA	---	TEMPORARY	120
6	BCA	---	TEMPORARY	180
7	BCOM HONS	---	TEMPORARY	120
8	MSC HOME SCIENCE	FOOD AND NUTRITION	TEMPORARY	25

शर्तें:-

- प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2020-21 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग तथा अन्य नियामक संस्थाओं की मान्यता, निर्धारित सम्बद्धता श्लक एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
- उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात् ही आगामी सत्र में सम्बद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी। अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता मान्य योग्य नहीं होगा।
- बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी संपर्ण जबाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
- किसी भी शर्त की पूर्ति न होने की स्थिति में यह संबद्धता पत्र स्वतः निरस्त मन जावेगा।
- विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 एवं परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5.6.7 का पालन करना होगा। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
- प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत पूर्ण कर सूची 3 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
- शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा। प्रति 3 माह में। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
- विश्वविद्यालय में जमा/ जमा की जाने वाली FDR की पूर्ण जानकारी। माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)

आदेश द्वारा

21/05/2019

प्रतिलिपि-

- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक भोपाल/नर्मदापुरम संभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- प्रभारी आई.टी./वेब सेल बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- उप कुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनार्थ।
- कुलपति/ कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

21/05/19



## Affiliation Renewal

BU1901220018



## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

21/05/अका. संब. 2019

प्रति,

प्राचार्य,

329 -SANT HIRDARAM GIRLS COLLEGE  
LAKE ROAD, SANT HIRDARAM NAGAR  
BHOPAL

भोपाल, दिनांक: 30/5/19



विषय:- अस्थाई सम्बद्धता की निरंतरता 2019-20 प्रदान करने विषयक।

महोदय,

30-4-2019

विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक में \_\_\_\_\_ की अनुशंसा पर कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में म.प्र. वि.वि. अधि. 1973 की धरा 15 (4) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत, कलपति जी द्वारा दी गई स्वीकृति के तारतम्य में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता की निरंतरता (निम्नांकित शर्तों के तहत) प्रदान की जाती है।

S.No.	Course	Branch	Status	Seats
1	BED	--	TEMPORARY	100 50

## शर्तः-

- प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2020-21 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग तथा अन्य नियामक संस्थाओं की मान्यता।
- निर्धारित सम्बद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
- उच्च शिक्षा विभाग/ नियामक संस्था द्वारा जारी सर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी। अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता मान्य योग्य नहीं होगा।
- बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
- किसी भी शर्त की पूर्ति न होने की स्थिति में यह संबद्धता पत्र स्वतः निरस्त मन जावेगा।
- विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 एवं परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन करना होगा। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
- प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत पूर्ण कर सूची 3 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
- शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा। प्रति 3 माह में। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)
- विश्वविद्यालय में जमा/ जमा की जाने वाली FDR की पूर्ण जानकारी। माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (केवल अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)

24/05/अका. संब. 2019

## प्रतिलिपि-

- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- आर्तिरिकता संचालक भोपाल/नर्मदापुरम संभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- प्रभारी आई.टी./वेब सेल बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- उप कुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनार्थ।
- कुलपति/ कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

30/5/19





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 225 /अकादमी/संबंधिता/2013  
प्रति,

भोपाल, दिलांक

4/21/2013

प्राचार्य/

संत हिरदाराम कव्या महाविद्यालय,  
संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़,  
मोपाल

विषय:- सब 2012-13 से रायाई संबद्धता प्रदान करने विषयक महाद्य.

महाविद्यालय के पत्र क्रमांक. 163/4577/2011 दिनांक 04.10.2011 के तारतम्य में विश्वविद्यालय द्वारा गठित विरीक्षण समिति के प्रतिवेदन विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 25-27/08/2012 में की गई अनुशंसा तथा कार्य परिषद की ओर से 15(4) में कुलपतिजी के अनुगोदनोपराज्ञ आपके महाविद्यालय को प्रदर्शित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय परिवेद्यम 27 की कंडिका (10) के तहत संचालित पाठ्यक्रमों में स्थाई संबद्धता सत्र 2012-13 से निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है निम्नलिखित पाठ्यक्रम में सत्र 2012-13 के लिए स्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है :-

- बी.एस-सी भाग-1, 2, 3
  - बी.कॉम भाग-1, 2, 3
  - बी.सी.ए भाग-1, 2, 3
  - बी.बी.ए भाग-1, 2, 3
  - एम एस-सी (बायोटेक्नालोजी, कमेरदी, कम्प्यूटर साइंस) पूर्वार्ध/उत्तरार्ध
  - एम.कॉम पूर्वार्ध/उत्तरार्ध

### शर्ते:-

- प्रदत्त स्थाई संबंधित में निरंतरता हेतु आगामी सत्र 2013-14 के लिये निर्धारित शुल्क एवं आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
  - आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27,28 एवं परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन करना होगा।
  - आपको संबंधित विषयों के समुचित अध्ययन/अध्यापन हेतु पर्याप्त उपकरणों एवं पुस्तकों की व्यवस्था करनी।
  - शासी निकाय की नियमित बैठकों का आयोजन/प्रतिवेदन विवरण विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
  - महाविद्यालय का आय व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
  - मोप्र० शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों की भी प्रतिपूर्ति करना होगी। जिसमें भूमि भवन संबंधित अभिलेख की जावकारी संलग्न करनी होगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय

4/2/2015

- पूर्णकार्यक्रम 226 /अकादमी/संवेद्धता/2013

भोपाल दिवांक

1 21

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।  
 2. अपर संचिव उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल ।  
 3. उपकुलसंचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।  
 4. कुलपति/कुलसंचिव के निजी सहायक अधि.छ.क० बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।  
 5. क्षेत्रीय संचालक, विश्वविद्यालय अबुदाब आयोग तवा काम्प्लेक्स विट्ट्ल मार्केट भोपाल ।  
 6. क्षेत्रीय संचालक, भोपाल नर्मदापूरम संभाग श्यामला हिल्स भोपाल ।

कुलसचिव

197 | Page



## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

क्रमांक 1655 / अकादमी / संबद्धता / 2012  
प्रति,

प्राचार्य,  
संत हिंदुराम कन्या महाविद्यालय  
संत हिंदुराम नगर, बैरागढ भोपाल

भोपाल, दिनांक 17-7-13

### संशोधित पत्र



लेखा— सत्र 2013–14 में अस्थाई संबंधता प्रदान करने विषयक। (संशोधित पत्र)

महोदय,

इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1023, 1024 दिनांक 23-5-2013 में आंशिक संशोधन करते हुए एवं उच्च प्रमाण पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन एवं विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16.05.2013 में लिये गये निर्णय एवं धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपतिजी द्वारा कार्यपरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में आपके महाविद्यालय को प्रदर्शित शर्तों के अधीन निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में सत्र 2013–14 के लिए अस्थाई संबंधता प्रदान की जाती है :—

1. बी.लिब—प्रथम
2. बी.काम. आनर्स—प्रथम
3. बी.एस.सी. भाग—3 सांख्यिकी (अतिरिक्त विषय)
4. एम.ए.सोशल वर्क उत्तरार्द्ध
5. बी.कॉम — प्रथम फारेन ट्रेड सेल्स मेनेजमेंट
6. बी.ए. भाग—3, आ.पा. अर्थशास्त्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (अतिरिक्त विषय) समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अ.वि. मनोविज्ञान अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, संगीत, भूगोल, इतिहास

शर्तों—

1. प्रदत्त अस्थाई संबंधता में निरंतरता हेतु आगामी सत्र 2014–15 के लिये उच्च शिक्षा विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ एवं निर्धारित शुल्क एवं आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
  2. आपको विश्वविद्यालय परिविहाय 27,28 एवं परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन करना होगा।
  3. आपको विषय से संबंधित योग्य शिक्षकों की नियमित नियुक्ति कालेज कोड-28 के प्रावधानानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अन्वर्गत करनी होगी।
  4. आपको संबंधित विषयों के समुचित अध्ययन/अध्यापन हेतु पर्याप्त उपकरणों एवं पुस्तकों की व्यवस्था करनी होगी।
  5. शासी निकाय की नियमित बैठकों का आयोजन/प्रतिवेदन विवरण विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
  6. महाविद्यालय का आय व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करावाकर प्रस्तुत करना होगा।
  7. म०प्र० शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों की भी प्रतिपूर्ति करना आवश्यक होगा। जिसमें भूमि भवन संबंधित अभिलेख की जानकारी संलग्न करनी होगी।
  8. उपरोक्त शर्तें पूर्ण न होने पर विश्वविद्यालय परिविहाय 27 के तहत सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी।
- गोट:
- आपके महाविद्यालय में प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति कालेज कोड 28 के तहत पूर्ण कर ली गई है तो उनके नियुक्ति आदेश/कार्यभार पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करें।

आदेशानुसार,

पृ.क्रमांक 1656 / अकादमी / 2013

प्रतिलिपि:—

1. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद बी.यू.भोपाल।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. अपर सचिव उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
5. बैबसाईट प्रभारी इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी विवि की बेबाईट पर प्रकर्शित करें।

कुलसचिव  
भोपाल, दिनांक 17-7-13

कुलसचिव



# बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक १३५९/अकादमी/संबद्धता/१४  
प्रति,

प्राचार्य,

*बेरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल*

भोपाल, दिनांक १५-५-१४



विषय : नवीन पाठ्यक्रम / नवीन महाविद्यालय को सत्र 2014-15 में अस्थाई संबद्धता प्रदान करने  
विषयक ।

महोदय,

आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक ११०६ दिनांक २८/५/१४ के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र के आधार पर गठित निरीक्षण समिति के सकारात्मक प्रतिवेदन होने के फलस्वरूप विद्वत् परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक २९-४-२०१४ में लिए गये निर्णय में माननीय कुलपति जी को संबद्धता संबंधित प्रकरणों में अधिकृत किया गया है। कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में आपके महाविद्यालय में संचालित नवीन पाठ्यक्रम / नवीन महाविद्यालय को निम्न विषयों में :-

1. B.Sc. A.I. Electronic - ३०८०८

2.

3.

4.

अस्थाई संबद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है ।

शर्त :-

1. आपको प्रदत्त अस्थाई संबद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2015-16 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, की मान्यता, निर्धारित शुल्क एवं निर्धारित आवेदन पर आवेदन करना होगा ।
2. आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन करना होगा ।
3. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत 31 जुलाई 2014 तक आवश्यक रूप से करनी होगी ।
4. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा ।
5. आपको शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा ।
6. उपरोक्त शर्त पूर्ण न होने पर प्रदत्त अस्थाई संबद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी ।
7. विश्वविद्यालय परिनियम 27 के प्रावधानानुसार धरोहर राशि की सावधि जमा ( एफ०ड००आर० ) जो संचालन समिति एवं कुलसचिव वरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के संयुक्त नाम से होगी को जमा करना अनिवार्य है ।
8. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा जिसकी संपूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा ।

आदेशानुसार

उप-कुलसचिव (अकादमी)

पृष्ठक्रमांक १३६०/अकादमी/संबद्धता/१४

भोपाल, दिनांक १५-५-१४

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
3. उपकुलसचिव, गोपनीय / परीक्षा की ओर सूचनार्थ ।
4. कुलपति / कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ ।

उप-कुलसचिव (अकादमी)

Dr. Upasana  
to note,  
*Seer*

१५/५/१४

*Seer*  
15/5/14



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



क्रमांक 1651 /अकादमी/संबंधिता/1.1  
प्रति,

प्राचार्य,  
संत हिरदा राम कन्या महाविद्यालय,  
बैरागढ़, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21/9/2011

विषय:- बी.सी.ए. पाठ्यक्रम हेतु सीर्टें में वृद्धि करने विषयक । (सत्र 2011-12)

महोदय,

महाविद्यालय के पत्र क्रमांक 16/4290/2011 दिनांक 04.06.11 के संदर्भ में बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में पूर्व से निर्धारित छात्र संख्या में वृद्धि करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित नियमिति के प्रतिवेदन विद्वत परिषद की स्थाई समिति की बैठक 06.07.2011 में की गई अनुशंसा एवं कार्यपालिका की बैठक दिनांक 15.07.2011 में अनुमोदनो उपरान्त आपके महाविद्यालय को बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में 120 छात्र संख्या के स्थान पर 180 छात्र संख्या हेतु सत्र 2011-12 से अनुमति प्रदान की जाती है ।

आदेशानुसार,

पृष्ठ क्रमांक 1652 /अकादमी/संबंधिता/1.1

प्रतिलिपि:-

- 1- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- 2- उप-कुलसचिव(परीक्षा/गोपनीय)शास्त्रा, बरकतउल्ला विवि. भोपाल ।
- 3- कुलपति/कुलसचिव के निज सचिव की ओर सूचनार्थ ।

कुलसचिव  
भोपाल, दिनांक 21/9/2011

उप.कुलसचिव, अकादमी  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

SK  
20/1/11



✓  
21/1/11

पृ.क्रमांक 33 /अकादमी/2011

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18.1.11



### अधिसूचना

समस्त एम.एड. पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालयों को अवगत कराया जाता है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा संशोधित अधिनियम पत्र क्रमांक 49-4/ 10/पी.टी./एन.सी.टी.ई./एन एण्ड एस/10 दिनांक 09 अगस्त 2010 द्वारा एम.एड. पाठ्यक्रम में पूर्व से निर्धारित 25 छात्र संख्या के स्थान पर 35 छात्र संख्या हेतु सीटों में वृद्धि की है, जो सत्र 2010-11 से प्रभावशील मानी जावेगी।

आदेशानुसार

(डॉ. बी.भरती)  
उपकुलसचिव, अकादमी

भोपाल, दिनांक 18.1.11

पृ.क्रमांक 34 /अकादमी/2011

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रिय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मानस भवन श्यामलाहील्स भोपाल
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
3. कुलपति/कुलसचिव के निज सचिव के माध्यम से कुलपतिजी/कुलसचिवजी को सूचनार्थ।
- 4.

उप-कुलसचिव, अकादमी



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 1839 /अकादमी/चयन समिति/10

भोपाल, दिनांक 16-8-10

प्रति,

५८४८

संत हिरदा बाई जामाहानिलाला

संत हिरदा शासनपृष्ठ

बोगद, भोपाल

विषय:-बी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2010-11 हेतु अस्थाई संबद्धता निरंतर करने विषयक।

महोदय,

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, के पत्र क्रमांक 95667 दिनांक 01-06-09 द्वारा जारी मान्यता के आधार पर एवं विद्वत परिषद की स्थाई समिति की बैठक दि. 14.06.10 तथा कार्यपरिषद की बैठक दि. 29.06.10 में लिये गये निर्णयानुसार आपके महाविद्यालय में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम में छात्र संख्या 100 हेतु अस्थाई संबद्धता/निरंतरता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तः-

1. आपको अस्थाई संबद्धता निरंतर हेतु आगामी सत्र 2011-12 के लिये निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित आवेदन पर आवेदन करना होगा।
2. आपको विश्वविद्यालय परियाम 27 एवं 28 की परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन करना होगा, जिसे आप विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
3. आपको शासी निकाय की नियमित बैठकों के कार्यवृत्त निसमें विश्वविद्यालय के प्रधिकारित उपरिथित हो दिनांक 30.7.10 तक अवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
4. प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति कालेज कोड-28 के तहत एन.सी.टी.ई. नार्म के अनुसार करवी होगी।
5. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक घार्ड एकाउंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
6. महाविद्यालय का स्वयं का भवन होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. उपरोक्त शर्तें पूर्ण न होने पर संबद्धता निरस्त की जा सकेंगी।

यदि महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम में कोई त्रुटि हो तो उसे 10 दिवस के अन्दर स्वयं उपरिथित हो कर त्रुटि सुधारवा ले। निर्धारित समय का विशेष ध्यान रखे अन्यथा बाद में त्रुटि सुधारना संभव नहीं होगा।

आदेशानुसार,

M. उप-कुलसचिव अकादमी  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल  
भोपाल, दिनांक 16-8-10

पृष्ठ क्रमांक 1839 /अकादमी/संबद्धता/10

प्रतिलिपि:-

1. अविरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
3. क्षेत्रीय संचालक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भवन श्यामला हिल्स भोपाल
4. उप-कुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

M. उप-कुलसचिव, (अकादमी)  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल



## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक ४३८/अकादमी/चयन समिति/१० प्रति,

भोजन, दिनांक

Sant Hirdaram College  
Baisgarh  
Bhopal.

✓ ३/१०/१०  
५.५.५.



विषय:-सत्र 2010-11 हेतु अस्थाई संबद्धता निरंतर करने विषयक।

महोदय,

विद्वत परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 14.06.10 तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.06.10 में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता/निरंतरता विच्छ शर्तों के साथ प्रदान की जारी है।

1. B.Sc. III Phys., Chem., BioTech micro Biology Comp. II. Maths, F.C. B.Com II with C.A
2. B.Sc. II Clinical Nutrition(H.S.C) BCA १२० Seats
3. B.Com III Adv. Sales Promotion Sales Mgt
4. B.B.A II १२० Seats M.Com(P) M.Sc.(P) Chem, BioTech
5. Computer. २० Seats
6.

शर्तः-

1. आपको अस्थाई संबद्धता निरंतर हेतु आगामी सत्र 2011-12 के लिये निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित आवेदन पर आवेदन करना होगा।
2. आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन करना होगा, जिसे आप विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
3. आपको शासी निकाय की नियमित बैठकों के कार्यवृत्त जिसमें विश्वविद्यालय के प्रधनियि उपस्थित हो तीव्र माहौलक अवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
4. प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति कालेज कोड-28 के तहत करनी होगी।
5. महाविद्यालय का 'आय-व्यय' पत्रक चार्टर्ड एकाउटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
6. महाविद्यालय का स्वयं का भवन होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. उपरोक्त शर्तें पूर्ण न होने पर संबद्धता निरस्त की जा सकेंगी। यदि महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में कोई त्रुटि हो तो उसे 10 दिवस के अन्दर स्वयं उपस्थित हो कर त्रुटि सुधारवा ले। निर्धारित समय का विशेष ध्यान रखे अन्यथा बाद में त्रुटि सुधारना संभव नहीं होगा।

नोट:-जिन महाविद्यालयों में कालेज कोड 28 के तहत नियुक्त नहीं की गई हैं वे उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम की अस्थाई संबद्धता जारी नहीं की जावेगी जा ही विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे।

आदेशानुसार,

उप-कुलसंचिव अकादमी

वरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

भोपाल, दिनांक 16-8-10

पृ० क्रमांक १८२९, अकादमी/संबद्धता/१०

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
3. क्षेत्रीय संचालक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भनस भवन श्यामला हिल्स भोपाल।
4. उपकुलसंचिव/गोपनीय/परीक्षा वरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसंचिव के विजी सहायक वरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।

उप-कुलसंचिव,(अकादमी)

वरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल



# बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

2572

क्रमांक /अकादमी/सम्बद्धता/09

भोपाल, दिनांक 26/7/09

प्रति,

प्राचार्य,

सन् हिरदाराम कृष्णा महाराज  
हिरदाराम नगर बैरागी - भोपाल



विषय:- बी.बी.ए./बी.सी.ए. पाठ्यक्रम की निर्धारित सीधों में वृद्धि करने विषयक

महोदय,

आपके आवेदन पत्र के आधार पर, विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा प्रख्युत प्रतिवेदन के आधार पर, विद्वत परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 23/7/09 में की गई अनुशंसा तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28/7/09 में अनुमोदनोपरांत आपके महाविद्यालय को बी.बी.ए./बी.सी.ए. पाठ्यक्रम ने विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व से निर्धारित छात्र संख्या के स्थान पर छात्र संख्या हेतु अनुमति सन् 2009-10 में प्रदान की जाती है।

बी.बी.ए. 60 से 120

बी.सी.ए. 50 से 120

आदेशानुसार,

कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल  
 भोपाल, दिनांक 26/7/09

2573

क्रमांक /अकादमी/सम्बद्धता/09

प्रतिलिपि:-

- उपकुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय शास्त्री की ओर सूचनार्थ।
- कुलपति/कुलसचिवजी के निजि सचिव के भाध्यम कुलपति/कुलसचिवजी के सूचनार्थ।

सहायक कुलसचिव(अकादमी)  
 बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

Important

Ekkaji

13/7/09

14/7/09



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 225 /अकादमी/संबंधिता/2013  
प्रति,

भोपाल, दिलांक

4/21/2013

प्राचार्य/

संत हिरदाराम कव्या महाविद्यालय,  
संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़,  
मोपाल

विषय:- सब 2012-13 से रायाई संबद्धता प्रदान करने विषयक महाद्य.

महाविद्यालय के पत्र क्रमांक. 163/4577/2011 दिनांक 04.10.2011 के तारतम्य में विश्वविद्यालय द्वारा गठित विरीक्षण समिति के प्रतिवेदन विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 25-27/08/2012 में की गई अनुशंसा तथा कार्य परिषद की ओर से 15(4) में कुलपतिजी के अनुगोदनोपराज्ञ आपके महाविद्यालय को प्रदर्शित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय परिविधम 27 की कंडिका (10) के तहत संचालित पाठ्यक्रमों में स्थाई संबद्धता सत्र 2012-13 से निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है निम्नलिखित पाठ्यक्रम में सत्र 2012-13 के लिए स्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है :-

1. बी.एस.-सी भाग-1, 2, 3
  2. बी.कॉम भाग-1, 2, 3
  3. बी.सी.ए भाग-1, 2, 3
  4. बी.बी.ए भाग-1, 2, 3
  5. एम एस.-सी (बायोटेक्नालोजी, कमेरदी, कम्प्यूटर साइंस) पूर्वार्ध/उत्तरार्ध
  6. एम.कॉम पूर्वार्ध/उत्तरार्ध

**शर्ते:-**

- प्रदत्त स्थाई संबंधित में निरंतरता हेतु आगामी सत्र 2013-14 के लिये निर्धारित शुल्क एवं आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
  - आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27,28 एवं परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन करना होगा।
  - आपको संबंधित विषयों के समुचित अध्ययन/अध्यापन हेतु पर्याप्त उपकरणों एवं पुस्तकों की व्यवस्था करनी।
  - शासी निकाय की नियमित बैठकों का आयोजन/प्रतिवेदन विवरण विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
  - महाविद्यालय का आय व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
  - मोप्र० शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों की भी प्रतिपूर्ति करना होगी। जिसमें भूमि भवन संबंधित अभिलेख की जावकारी संलग्न करनी होगी।

आदेशानुसार,

कूलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय

भोपाल, दिनांक ५/१२/२०१३

- पूर्णकार्यक्रम 226 /अकादमी/संवेद्धता/2013

### प्रतिलिपि:-

- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
  - अपर संचिव उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल ।
  - उपकुलसंचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
  - कुलपति/कुलसंचिव के निजी सहायक अधि.छ.क० बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
  - क्षेत्रीय संचालक, विश्वविद्यालय अबुदाब आयोग तवा काम्प्लेक्स विट्ट्ल मार्केट भोपाल ।
  - क्षेत्रीय संचालक, भोपाल नर्मदापूरम संभाग श्यामला हिल्स भोपाल ।

कुलसचिव

✓  
5.2.15  
110pm  
Received  
~~5/2/15~~  
0.50  
1971



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

क्रमांक 371 / अकादमी / संब. / 08  
प्रति,

प्राचार्य,

संत हिरदाराम महाविद्यालय भोपाल

भोपाल, दिनांक 20/3/08

विषय:- सत्र 2007-08 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदान करने विषयक।

महोदय,

म.प्र.उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 989 दिनांक 28/02/2007 एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक 979 दिनांक 28/02/2007 के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर विद्वत् परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 04/02/2008 में की गई अनुशंसा तथा कार्यपरिषद की बैठक 06/02/2008 में अनुमोदन उपरान्त आपके महाविद्यालय को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों:-

- 1 बी. एस. सी. भाग एक ( गृह विज्ञान ) क्लीनिकल न्यूट्रीशियन 50 छात्र संख्या
- 2 बी.एस.सी. भाग-2 - वनस्पति शा०, प्राणी शा०, माइक्रो बायोलाजी, बायोटेक्नोलॉजी, एंट्रिक विषयों

मैं अस्थाई संबद्धता सत्र 2007-08 हेतु निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

- 1 आपको आगामी सत्र 2008-09 हेतु म.प्र. चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनुमति के साथ, संबद्धता आवेदन फार्म पर निर्धारित संबद्धता शुल्क के साथ आवेदन करना होगा।
- 2 आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 एवं परीक्षा अध्यादेश को 5,6,7 का पालन करना होगा, जिसे आप विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- 3 आपको प्राचार्य/शिक्षकों की रिक्त पदों विरुद्ध नियमित नियुक्ति कालेज कोड 28 के तहत तीन माह के अन्दर आवश्यक रूप से करनी होगी।
- 4 महाविद्यालय का आय व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
- 5 आपको शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन जिसमें विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हो कर विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- 6 आपको विषय से संबंधित पुस्तकों की समुचित व्यवस्था करना होगी।
- 7 उपरोक्त शर्तें पूर्ण न होने पर सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी।

आदेशानुसार,

उपकुलसचिव,

पृष्ठ क्रमांक 372 / अका. / सम्बद्धता / 08  
प्रक्षिलिपि :-

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

भोपाल, दिनांक: 20/3/08

- 1- अतिरिक्त संचालक, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- 2- रजिस्टर ०० पेरामेडिकल कॉउनसिल भेपाल।
- 3- अवर सचिव ०० प्र० शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभवन भोपाल।
- 4- उप-कुलसचिव(परीक्षा/गोपनीय) शाखा, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
- 5- कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, संचालक, शारी. शिक्षा, अधिकारी, समन्वयकरा. से. यो., बरकतउल्ला विवि. भोपाल।

उप-कुलसचिव(अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



कमांडॉली

अकादमी इन्ड्र  
प्रति,

रसीड-पोस्ट

भोपाल

प्राचार्य

संचालक अधिकारी कार्यालय

कृष्णगढ़ महाविद्यालय

विषय:- बी.एड पाठ्यक्रम सत्र 2013-14 हेतु अस्थाई संबद्धता निरंतर करने विषयक।

महोदय,

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्र कमांक 95667 दिनांक 01-6-09 के आधार पर विद्वत परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 10-05-13 तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14-05-2013 में लिये गये निर्णय अनुसार आपके महाविद्यालय में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम रंगात्र संख्या 100 हेतु अस्थाई संबद्धता/निरंतरता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्त:-

1. आपको अस्थाई संबद्धता निरंतर हेतु आगामी सत्र 2014-15 के लिये निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित संबद्धता आयोग पर आयोग करना होगा।
2. आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की परीक्षा अध्यादेश कमांक 5,6,7 का पालन करना होगा, जिसे आप विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
3. आपको शासी निकाय की विभिन्न बैठकों के कार्यवृत्त जिसमें विश्वविद्यालय के प्रधिनिधि उपस्थित हैं दिनांक- 30.09.2013 तक अवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
4. प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति कालेज कोड-28 एवं एन.सी.टी.ई. के नियमों के तहत करनी होगी।
5. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
6. महाविद्यालय का स्वयं का भवन होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ शासन से प्राप्त भवन संबंधी अनुमति पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
7. उपरोक्त शर्तें पूर्ण न होने पर संबद्धता निरस्त की जा सकेगी।

नोट : जिन महाविद्यालयों में कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है वे उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम की अस्थाई संबद्धता जारी नहीं की जावेगी।

आदेशांकुशार,

*M* उप-कुलसचिव अकादमी  
भोपाल, दिनांक 24-9-13

पृ० कमांक 2082/अकादमी/संबद्धता/13

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
3. क्षेत्रीय संचालक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भनस भवन श्यामला हिल्स भोपाल।
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा एवं अधिष्ठाता छात्र कल्याण, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।

B. Khare  
Dr. n.a.

18/12/13

39 Sun

19/12/13

मुख्य कुलसचिव, (अकादमी)




## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

क्रमांक 1655 / अकादमी / संबद्धता / 2012  
प्रति,

प्राचार्य,  
संत हिरदाराम कन्या महाविद्यालय  
संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़ भोपाल

भोपाल, दिनांक 17-7-13

संशोधित पत्र



विषय:- सत्र 2013-14 में अस्थाई संबद्धता प्रदान करने विषयक (संशोधित पत्र)

महोदय,

इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1023, 1024 दिनांक 23-5-2013 में आंशिक संशोधन करते हुए एवं उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 2021-520/13/आ.उ.शि./संबद्धता/2013 दिनांक 28-02-2013 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन एवं विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16.05.2013 में लिये गये निर्णय एवं धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपतिजी द्वारा कार्यपरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में आपके महाविद्यालय को प्रदर्शित शर्तों के अधीन निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में सत्र 2013-14 के लिए अस्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है :-

1. वी.लिब-प्रथम
2. वी.काम. आनर्स-प्रथम
3. वी.एस.सी. भाग-3 सांख्यिकी (अतिरिक्त विषय)
4. एम.ए.सोशल वर्क उत्तरार्द्ध
5. वी.कॉम - प्रथम फारेन ट्रेड सेल्स मेनेजमेंट
6. वी.ए. भाग-3, आ.पा. अर्थशास्त्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (अतिरिक्त विषय) समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अ.वि. मनोविज्ञान अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, संगीत, भूगोल, इतिहास

शर्त:-

1. प्रदत्त अस्थाई संबद्धता में निरंतरता हेतु आगामी सत्र 2014-15 के लिये उच्च शिक्षा विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ एवं निर्धारित शुल्क एवं आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
  2. आपको विश्वविद्यालय परिविहायम 27,28 एवं परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन करना होगा।
  3. आपको विषय से संबंधित योग्य शिक्षकों की नियमित नियुक्ति कालेज कोड-28 के प्रावधानानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत करनी होगी।
  4. आपको संबंधित विषयों के समुचित अध्ययन/अध्यापन हेतु पर्याप्त उपकरणों एवं पुस्तकों की व्यवस्था करनी होगी।
  5. शारी निकाय की नियमित बैठकों का आयोजन/प्रतिवेदन विवरण विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
  6. महाविद्यालय का आय व्यय पत्रक चार्ट एकाउटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
  7. म०प्र० शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों की भी प्रतिपूर्ति करना आवश्यक होगा। जिसमें भूमि भवन संबंधित अभिलेख की जानकारी संलग्न करनी होगी।
  8. उपरोक्त शर्तें पूर्ण न होने पर विश्वविद्यालय परिविहायम 27 के तहत सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी।
- नोट:- आपके महाविद्यालय में प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति कालेज कोड 28 के तहत पूर्ण कर ली गई है तो उनके नियुक्ति आदेश/कार्यभार पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करें।

आदेशानुसार,

भोपाल, दिनांक 17-7-13

पृ.क्रमांक 1656 / अकादमी / 2013

प्रतिलिपि:-

1. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद वी.यू.भोपाल।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. अपर सचिव उच्च शिक्षा विभाग मन्त्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
5. बैबसाईट प्रभारी इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की बेवाईट पर प्रकर्षित करें।

*1656/17-7-13*

*1656*

कुलसचिव

23/5/13



## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक १०२३ /अकादमी/संबद्धता/२०१३  
प्रति,

भोपाल, दिनांक २३/५/१३

प्राचार्य/सचिव

सन्त ईश्वराम महाविद्यालय,  
बुतहिरदाराम नगर भोपाल.

विषय:- सत्र २०१३-१४ में अस्थाई संबद्धता प्रदान करने विषयक।



महोदय,

आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक १०२१.४५२०/१३ द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित नियमिति के प्रतिवेदन विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दि. १०-५-२०१३ में की गई अनुशंसा तथा कार्य परिषद की बैठक दिनांक १४-५-१३ में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय को प्रदर्शित शर्तों के अधीन नियमिति पाठ्यक्रम में सत्र २०१३-१४ के लिए अस्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है :-

- 1- B.Com I ForenTread. Sem 1st, B.66-
  - 2- B.Sc III. States Ad. Subjects
  - 3- BA III- PC, Seco. Sociology, Political Sci. Pub. Ad. Psy. Geog
  - 4- History, English, Lat. Hindi Lit. Music
- B.Com I Hon. Accnts, Majur, 60 Seats;

शर्तों:-

1. प्रदत्त अस्थाई संबद्धता में निरंतरता हेतु आगामी सत्र २०१४-१५ के लिये उच्च शिक्षा विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ एवं निर्धारित शुल्क एवं आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
2. आपको विश्वविद्यालय परिविहार २७,२८ एवं परीक्षा अध्यादेश क्रमांक ५,६,७ का पालन करना होगा।
3. आपको विषय से संबंधित योग्य शिक्षकों की नियमित नियुक्ति महाविद्यालय कोड-२८ के प्रावधानानुसार ३० सितम्बर २०१३ तक निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत करनी होगी।
4. आपको संबंधित विषयों के समुचित अध्ययन/अध्यापन हेतु पर्याप्त उपकरणों एवं पुस्तकों की व्यवस्था करनी होगी।
5. शासी निकाय की नियमित बैठकों का आयोजन/प्रतिवेदन विवरण विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
6. महाविद्यालय का आय व्यय पत्रक थार्ट एकाउटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
7. म०प्र० शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों की भी प्रतिपूर्ति करना होगी। जिसमें भूमि भवन संबंधित अभिलेख की जानकारी संलग्न करनी होगी।

नोट : उपरोक्त शर्ते पूर्ण न होने पर विश्वविद्यालय परिविहार २७ के तहत सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी।

आदेशमुसार,

कुलसचिव

पृ० क्रमांक १०२४ /अकादमी/संबद्धता/२०१३  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक २३/५/१३

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. अपर सचिव उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक संचालक, शारीरिका, अधिकारी का बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

कुलसचिव



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



क्रमांक २०८१

/अकादमी/संबंध/१३

स्पीड-पोस्ट

भोपाल, दिनांक २५ सितंबर २०१३

प्रति,

प्राचार्य

संत गुरुदा राम कन्ना महाविद्यालय  
कैरागढ़ महाविद्यालय

विषय:- बी.एड पाठ्यक्रम सत्र २०१३-१४ हेतु अस्थाई संबद्धता निरंतर करने विषयक।

महोदय,

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्र क्रमांक ९५६६७ दिनांक ५-६-०९ के आधार पर विद्वत परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक १०-०५-१३ तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक १४-०५-२०१३ में लिये गये निर्णय अनुसार आपके महाविद्यालय में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम में छात्र संख्या १०० हेतु अस्थाई संबद्धता/निरंतरता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तः-

- आपको अस्थाई संबद्धता निरंतर हेतु आगामी सत्र २०१४-१५ के लिये निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित संबद्धता आवेदन पर आवेदन करना होगा।
- आपको विश्वविद्यालय परिनियम २७ एवं २८ की परीक्षा अध्यादेश क्रमांक ५,६,७ का पालन करना होगा, जिसे आप विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- आपको शासी निकाय की नियमित बैठकों के कार्यवृत्त जिसमें विश्वविद्यालय के प्रधिनिधि उपस्थित हो दिनांक- ३०.०९.२०१३ तक अवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
- प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति कालेज कोड-२८ एवं एन.सी.टी.ई. के नियमों के तहत करनी होगी।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- महाविद्यालय का स्वयं का भवन होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ शासन से प्राप्त भवन संबंधि अनुमति पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
- उपरोक्त शर्तें पूर्ण न होने पर संबद्धता निरस्त की जा सकेगी।

नोट : जिन महाविद्यालयों में कालेज कोड २८ के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है वे उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम की अस्थाई संबद्धता जारी नहीं की जावेगी।

आदेशमुख्यार,

*M. S. Chaturvedi*  
उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक २५-९-१३

पृ० क्रमांक २०८२ /अकादमी/संबंध/१३

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भनस भवन श्यामला हिल्स भोपाल।
- उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा एवं अधिष्ठाता छात्र कल्याण, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।

*Dr. Kharal*  
18/9/13

*S. A.*  
18/9/13

*S. A.*  
19/9/13

*M. S. Chaturvedi*  
कुलसचिव, (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 643 / अकादमी / सम्बद्धता / 2006

प्रति



भोपाल, दिनांक 11/2/06

अध्यक्ष / सचिव  
 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने अपने पत्र क्रमांक ५९०७ दिनांक १७-६-०५ द्वारा बी०ए० पाठ्यक्रम में सत्र २००५-०६ हेतु १०० छात्र संख्या के लिए मान्यता के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग ने अपने पत्र क्रमांक ६६७ दिनांक ३१-१७-०५ द्वारा बी०ए० पाठ्यक्रम सत्र २००५-२००६ हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, तथा माननीय उच्च न्यायालय जवलपुर द्वारा याचिका क्रमांक ८४३० दिनांक १४-८-०५ पर पारित आदेश के परिपालन में निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर विद्वित परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक १९-१२-२००५ में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक २४-१२-२००५ में अनुमोदन उपराज्ञ आपके महाविद्यालय को बी०ए० पाठ्यक्रम में १०० छात्र संख्या के लिये सत्र २००५-२००६ हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

महोदय,

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने अपने पत्र क्रमांक ५९०७ दिनांक १७-६-०५ द्वारा बी०ए० पाठ्यक्रम में सत्र २००५-०६ हेतु १०० छात्र संख्या के लिए मान्यता के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग ने अपने पत्र क्रमांक ६६७ दिनांक ३१-१७-०५ द्वारा बी०ए० पाठ्यक्रम सत्र २००५-२००६ हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, तथा माननीय उच्च न्यायालय जवलपुर द्वारा याचिका क्रमांक ८४३० दिनांक १४-८-०५ पर पारित आदेश के परिपालन में निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर विद्वित परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक १९-१२-२००५ में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक २४-१२-२००५ में अनुमोदन उपराज्ञ आपके महाविद्यालय को बी०ए० पाठ्यक्रम में १०० छात्र संख्या के लिये सत्र २००५-२००६ हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

शर्त

- १- आपको अगामी सत्र २००६-२००७ की अस्थाई सम्बद्धता हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता/अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित निर्धारित सम्बद्धता आवेदन पत्र के साथ निर्धारित सम्बद्धता शुल्क के साथ निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा।
- २- प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति कॉलेज कोड २८ के तहत तीन माह में पूर्ण करनी होगी।
- ३- राष्ट्रीय अध्यापक परिषद एवं उच्च शिक्षा विभाग तथा राज्य शिक्षा केन्द्र के नियमों का पालन करना होगा।
- ४- परिविहास २७ रुपये २५ का पालन करना होगा तथा अध्यादेश में निहित प्रावधान का पालन करना होगा।
- ५- महाविद्यालय एवं उच्च यज्ञ पत्रक चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
- ६- शासी निकाल द्वारा दर्शन में तीन नियमित बैठकें आयोजित कर कार्यवृत्त विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- ७- विश्वविद्यालय परिविहास २७ की कटिका ११(६) के तहत महाविद्यालय को शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन तीन माह के भीतर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- ८- उपरोक्त शर्तों का पालन न करने पर प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

कुलसचिव,  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 11/2/06

पृष्ठ क्रमांक ६४४ / अकादमी / सम्बद्धता / 2006

प्रतिलिपि:-

- १- उपसचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- २- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र पुस्तक भवन अरेसा हिल्स भोपाल।
- ३- क्षेत्रीय संचालक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मानस भवन, श्यामला हिल्स भोपाल।
- ४- संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- ५- प्राचार्य-
- ६- उपकुलसचिव परीक्षा/माननीय शाखा की ओर सूचनार्थ।
- ७- कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक की ओर सूचनार्थ।

उपकुलसचिव (अकादमी)  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

Principal  
SANT HIRDARAM COLLEGE  
इतिहास विभाग, भोपाल, ४६२००३

18/6/09



## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

18/6/09

क्रमांक 1006 अकादमी/संबद्धता/09  
प्रति,

प्राचार्य,

संत टॉटेन डाम का भा  
महाविद्यालय कैरागंज भोपाल



भोपाल, दिनांक 6-5-09

विषय:-एम. एड. पाठ्यक्रम सत्र 2008-09 में अस्थाई संबद्धता/निरंतरता करने विषयक।

महोदय,

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्र क्रमांक सी-34914 दिनांक 21.5.08 द्वारा प्रदत्त मान्यता एवं उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 19.9.07 दिनांक 12-5-07 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन एवं विद्वत परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22.8.08 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 6.9.08 में अनुमोदन उपरान्त आपके महाविद्यालय को एम.एड. पाठ्यक्रम में 25-- छात्र संख्या हेतु अस्थाई संबद्धता विन्म शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

शर्त:-

- आपको अस्थाई संबद्धता निरंतर हेतु आगामी सत्र 2009-10 के लिये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की मान्यता एवं निर्धारित शुल्क एवं निर्धारित आवेदन पर आवेदन करना होगा।
- आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन करना होगा, जिसे आप विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- शिक्षकों नियुक्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमों के अनुकूल होने के अन्दर कलेज कोड-28 के तहत करनी होगी।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्ट एकाउंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होया तथा महाविद्यालय के स्वयं का भवन सबंधी अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
- आपको शास्त्री निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- उपरोक्त जरूर पूर्ण न होने पर संबद्धता विरस्त की जा सकेगी।

आदेशानुसार,

सहायकलसाचिव, अकादमी

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल  
भोपाल, दिनांक 6-5-09

पृष्ठ क्रमांक 1007 अकादमी/संबद्धता/09

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
- अपर सचिव उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- सचिव, क्षेत्रिय संचालक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल।
- उपकुलसाचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।

सहायकलसाचिव, (अकादमी)  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

(76) (3)

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 176 / अका. / सम्बद्धता / 06

भोपाल, दिनांक: 25/11/07

प्रति,

प्राचार्य,  
संत हिरदासाम महाविद्यालय,  
बैरागढ़, भोपाल

विषय:— सत्र 2006—2007 हेतु अस्थाई सम्बद्धता निरंतर करने विषयक।

महोदय,

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने एवं क्रमांक 4893 दिनांक 25.5.2006 तथा मोप्रो शासन उच्च शिक्षा विभाग, के पत्र क्रमांक 1219 दिनांक 30.09.06 द्वारा प्रदत्त मान्यता/अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर विद्वत् परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.12.2006 में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.12.06 में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय को बी.एड. पाठ्यक्रमों में 100 छात्र संख्या के लिये अस्थाई सम्बद्धता सत्र 2006—2007 हेतु निम्न शर्तों के साथ निरंतर की जाती है।

शर्त:—

- (1) आपको अस्थाई सम्बद्धता निरंतर हेतु आगामी सत्र 2007—2008 के लिये निर्धारित शुल्क एवं निर्धारित आवेदन पर आवेदन करना होगा।
- (2) आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 एवं परीक्षा अध्यादेश का 5,6,7 का पालन करना होगा, जिसे आप विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- (3) आपके शिक्षकों की नियुक्ति रिक्त पदों पर कालेज कोड 28 के तहत करनी होगी।
- (4) महाविद्यालय का आय द्वारा पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्पापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
- (5) आपको शासी निकाय की नियमित बैठकों का आयोजन विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- (6) उपरोक्त शर्तें पूर्ण न होने पर सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी।

आदेशानुसार

S Cleaver

सहा—कुलसचिव(अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक: 25/11/07

पृष्ठ क्रमांक 177 / अका. / सम्बद्धता / 06

प्रतिलिपि:—

- 1— अतिरिक्त संचालक, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- 2— अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 3— आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- 4— क्षेत्रिय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, इयाबला हिल्स भोपाल।
- 5— उप—कुलसचिव(परीक्षा/गोपनीय) शाखा, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
- 6— कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, संचालक, शारीरिका, अधिकारी, समन्वयकरा. से. यो., बरकतउल्ला विवि. भोपाल।

S Cleaver

सहा—कुलसचिव(अकादमी)

M बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



69

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

क्रमांक ४० /अकादमी /संबद्धता /०८

भोपाल, दिनांक २०.१०.०८

प्रति,

प्राचार्य,

कैल हिंदूराम शिक्षागान्धीविद्यालय  
क्रांति, भोपाल

विषय:- सत्र 2007-08 हेतु अस्थाई संबद्धता निरंतर करने विषयक।

महोदय,

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्र क्रमांक ४८९८ दि २५.०५.०६ द्वारा प्रदत्त मान्यता के आधार पर विद्वत परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 27.11.07 में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 07.12.07 में अनुमोदनोपरंत आपके महाविद्यालय बी.एड. / एम.एड. पाठ्यक्रम में अस्थाई संबद्धता 100 छात्र संख्या हेतु सत्र 2007-08 में निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तः-

- 1- आपको अस्थाई सम्बद्धता निरंतर आगामी सत्र 2008-09 के लिये निर्धारित शुल्क एवं निर्धारित आवेदन पर आवेदन करना होगा।
- 2- आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27,28 एवं परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन करना होगा।
- 3- आपको विषय से संबंधित योग्य शिक्षकों की नियुक्ति कालेज कोड 28श्र के तहत करनी होगी।
- 4- आपको शासी निकाय की नियमित बैठकों का आयोजन जिसमें विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होकर विवरण विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
- 5- आपको संबंधित विषयों के पर्याप्त उपकरण एवं पुस्तकों की व्यवस्था करनी होगी।
- 6- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर एकाउटेन्ट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
- 7- महाविद्यालय के स्वयं का भवन निर्माण संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
- 8- उपरोक्त शर्त पूर्ण न होने पर अस्थाई सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी।

आवेदनानुसार  
लाल

उपकुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल  
भोपाल, दिनांक २०.१०.०८

पृ. क्रमांक. ४१ /अकादमी /सम्बद्धता /०८

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल।
- 2- अतिरिक्त संचालक आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, सेतपुड़ा भवन भोपाल।
- 3- उपकुलसचिव परीक्षा/गोपनीयशाखा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 4- कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निज सचिव की ओर सूचनार्थ।

सहा. कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

P No -> 16



## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 1283 / अका. / सम्बद्धता / 08

भोपाल, दिनांक: 11-8-08

प्रति.

प्राचार्य,

संस्कृत विद्यारण्य के ०५-०८ मासिक ग्रन्थालय

विषय:— सत्र 2008—2009 हेतु अस्थाई सम्बद्धता निरंतर करने विषयक ।  
महोदय,

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्र क्रमांक 4898 दिनांक 25-5-08 मान्यता के आधार पर विद्वत परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 25/6/08 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30/6/08 में लिये गये निर्णयानुसार आपके महाविद्यालय को बी0एड0 पाठ्यक्रम में अस्थाई सम्बद्धता 100 छात्र संख्या हेतु सत्र 2008—09 में निम्न शर्तों के साथ निरंतर की जाती है ।

- (1) आपको अस्थाई सम्बद्धता निरंतर हेतु आगामी सत्र 2009—2010 के लिये निर्धारित शुल्क एवं निर्धारित आवेदन पर आवेदन करना होगा ।
- (2) आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 एवं परीक्षा अध्यादेश क्र0 5,6,7 का पालन करना होगा, जिसे आप विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं ।
- (3) आपके शिक्षकों की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमों के अनुसार रिक्त पदों पर कालेज कोड 28 के तहत 30 अक्टूबर 08 तक करनी होगी ।
- (4) महाविद्यालय का आय व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा ।
- (5) आपको शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा ।
- (6) जिन महाविद्यालय को तीन वर्ष या उससे अधिक हो चुके हैं वे स्वयं का भवन संबंधी अभिलेख 30 अक्टूबर 08 तक प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः समाप्त मानी जायेगी ।
- (7) उपरोक्त शर्त पूर्ण न होने पर सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी ।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल  
भोपाल, दिनांक: 11-8-08

पृ० क्रमांक 1284 / अका. / सम्बद्धता / 08  
प्रतिलिपि:—

- 1— अतिरिक्त संचालक, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
- 2— अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 3— क्षेत्रीय संचालक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल ।
- 4— उप-कुलसचिव(परीक्षा/गोपनीय) शाखा, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल ।
- 5— कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, संचालक, शारीरिक, अधिकारी, समन्वयकरा. से. यो., बरकतउल्ला विवि. भोपाल

सहायी — कुलसचिव (अकादमी)  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

19/8/08



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 3691 /अकादमी/चयन समिति/09  
प्रति,



भोपाल, दिनांक 30-11-09

(२८) हिरदा राम कन्मा  
द्वारा विष्यालय क्रमांक  
महोदय

विषय:-बीए पाठ्यक्रम सत्र 2009-10 हेतु अस्थाई संबद्धता निरंतर करने विषयक ।

महोदय,

मानवीय उच्च न्यायालय जबलपुर के पारित अंतिम आदेश क्रमांक 5145/08 दिनांक 13.5.2009 के आधार पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 95667 दिनांक 1.6.2009 द्वारा जारी मान्यता के आधार पर विद्वत परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 02.06.09 तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 04.06.09 में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम में छात्र संख्या 100 हेतु अस्थाई संबद्धता/निरंतरता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है ।

शर्तों:-

- आपको अस्थाई संबद्धता निरंतर हेतु आगामी सत्र 2010-11 के लिये निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित आवेदन पर आवेदन करना होगा ।
- आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 का पालन करना होगा, जिसे आप विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं ।
- आपको शासी निकाय की नियमित बैठकों के कार्यवृत्त जिसमें विश्वविद्यालय के प्रधिनिधि उपस्थित हो दिनांक 31/12/09—तक अवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे ।
- प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति कालेज कोड-28 के तहत करनी होगी ।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टड एकाउटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा ।
- महाविद्यालय का स्वयं का भवन होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- उपरोक्त शर्तें पूर्ण न होने पर संबद्धता निरस्त की जा सकेगी ।

यदि महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम में कोई त्रुटि हो तो उसे 10 दिवस के अन्दर स्वयं उपस्थित हो कर त्रुटि सुधारवा ले । निर्धारित समय का विशेष ध्यान रखें अन्यथा बाद में त्रुटि सुधारना संभव नहीं होगा ।

आदेशानुसार,

*S* सहा०कुलसचिव अकादमी  
*B* बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल  
भोपाल, दिनांक 30-11-09

पृष्ठांक 3692 /अकादमी/संबद्धता/09  
प्रतिलिपि:-

- अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
- क्षेत्रीय संचालक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भनस भवन श्यामला हिल्स भोपाल ।
- उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
- कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

*S* सहा०कुलसचिव,(अकादमी)  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल



## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 539 /अका./ सम्बद्धता/08

भोपाल, दिनांक: 24-4-08

प्रति,

प्राचीरं

संत हिरदाराम कन्या महाविद्यालय  
भोपाल

विषय :- एम्.एड. पाठ्यक्रम में सत्र 2007-08 हेतु अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने विषयक ।

महोदय,

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के पत्र क्रमांक डब्ल्यू आर सी 27740 /08 दिनांक 28/01/08 तथा उच्च शिक्षा विभाग, के पत्र क्रमांक 1991/07 दिनांक 18/05/07 द्वारा प्रदत्त मान्यता/अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर विद्वत् विष्विद की स्थायी समिति की बैठक दि 010/03/08 में की गई अनुशंसा एवं कार्यालयित की बैठक दिनांक 20/03/08 में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय को एम्.एड. पाठ्यक्रम के 25 छात्र संख्या के लिये अस्थाई सम्बद्धता सत्र 2007-08 हेतु निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है ।

शर्तः

- (1) आपको अस्थाई सम्बद्धता निरंतर हेतु आगामी सत्र 2008-2009 के लिये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं उच्च शिक्षा विभाग की मान्यता के साथ निर्धारित शुल्क एवं निर्धारित आवेदन पर आवेदन करना होगा ।
- (2) आपको विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 एवं परीक्षा अध्यादेश का 5,6,7 का पालन करना होगा, जिसे आप विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं ।
- (3) आपके शिक्षकों की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमों के अनुसार तीन माह के अन्दर कालेज कोड 28 के तहत करनी होगी ।
- (4) महाविद्यालय का आय व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा ।
- (5) आपको सासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा ।
- (6) उपरोक्त शर्त पूर्ण न होने पर सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी ।

आदेशानुसार,

कुलसचिव  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक: 24-4-08

क्रमांक 540 /अका./ सम्बद्धता/8

प्रतिलिपि :-

- 1- अमृता उच्च शिक्षा विभाग, सत्तापुडा भवन, भोपाल ।
- 2- अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 3- सचिव, क्षेत्रिक संचालक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मानस भवन भोपाल ।
- 4- उप-कुलसचिव(परीक्षा/गोपनीय) शाखा, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल ।
- 5- कुलसचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, संचालक, शारी. शिक्षा, अधि. छाक., समन्वयकरा. से. या., बरकतउल्ला वि.वि. चैपल.

उप-कुलसचिव(अकादमी)  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

Sew  
Maulvi  
26/4/08  
104200743311nji-09.docdm

Sew  
CR  
26/4/08